



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

Mine Code: 30RAJ17010

पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura, Industrial Area
अजमेर.-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

संख्या : RAJ/JHUN-44/IRON ORE-15

दिनांक : 03.09.2020

प्रेषित : श्रीमती शिखा मोदी पत्नी श्री छगन लाल मोदी
छावनी, पो.आ.-नीम का थाना,
जिला-सीकर-332 713(राजस्थान)
Email- chhaganlalmodi@gmail.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Kharoti Dhaniya Iron Ore Mine** (M.L. 03/99, Lease area 5.0 Hect.) in Jhunjhunu District of Rajasthan State.
महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 13.08.2020 by the undersigned in presence of Shri Raj Singh, Mines Manager:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
26 (2)	A yearly report to be submitted before 1 st July of every year setting forth the extent of protective and rehabilitation works carried out as envisaged in the approved progressive mine closure plan has not been submitted to this office for the year 2019-20.
45(5)(c)	An annual return which shall be submitted before 1 st day of July each year for the preceding financial year in electronic form, along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed in the prescribed form but till date you have not submitted the annual return of your mine for the year 2018-19.
Rule 45(7)	In annual return 2019-20 following discrepancies were observed: 1) Lease area utilization at the end of year in part I is not matching with approved mining plan. 2) The figures of Reserve & Resources in item 3 of Part V are not matching with approved mining plan.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गत:
(क) आपकी खदान की सारी सक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंधान की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

03/09/2020

(डी. आर. गुर्जर)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा) ।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, झुंझुनु।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो